



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272137
CG-DL-E-28042026-272137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]
No. 290]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

फा. सं. N-17011/1/मणिपुर/2026-यो एवं वि.—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 32(2) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क, जो कि उक्त संहिता की धारा 164(2)(ख) के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, महानिदेशक ने 1 अप्रैल, 2026 को वह तिथि नियत की है, जिस दिनांक से उक्त विनियम 95-क में विनिर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ मणिपुर राज्य के काकचिंग जिले के समस्त क्षेत्रों में बीमित व्यक्तियों के परिवारों को विस्तारित किया जाएगा।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो एवं वि)

[विज्ञापन-III/4/असा./59/2026-27]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

F. No. N-17011/1/Manipur/2026-P&D.— In pursuance of powers conferred by Section 32(2) of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 read with section 164(2)(b) of the Code on social security, 2020, the Director General has fixed the 1st April, 2026 as the date from, which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A shall be extended to the families of insured persons in all the areas of Kakching district of Manipur.

DEEPAK JOSI, Insurance Commissioner(P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./59/2026-27]